झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–364 वर्ष 2017

सुनील कुमार, पे0 सिकंदर प्रसाद यादव, निवासी ग्राम–कठौन, डाकघर–मोहनपुर, थाना–गोड्डा (एम), जिला–गोड्डा (झारखण्ड) .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. भारत संघ
2. महानिदेशक, महार रेजीमेंट सेंटर, सौगोर, डाकघर एवं थाना–सौगोर, जिला–सौकगर (मध्यप्रदेश)
3. कर्नल, ट्रेनिंग बटालियन कमांडर, झांगर कंपनी, डाकघर एवं थाना–सौगोर, जिला–सौगोर (मध्यप्रदेश)
4. लेफ्टिनेंट कर्नल, जन सूचना अधिकारी, महार रेजिमेंट सेंटर, सौगोर, डाकघर एवं थाना–सौगोर, जिला–सौगोर (मध्यप्रदेश)
5. ऑफिसर कमांडिंग, झांगर कंपनी, महार रेजिमेंट सेंटर, सौगोर, डाकघर एवं थाना–सौगोर, जिला–सौगोर (मध्यप्रदेश) .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री पी0के0 झा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री राजीव सिन्हा, ए0एस0जी0आई0

5/दिनांकः21वीं मार्च 2017

प्रमाथ पटनायक, न्याया0 के अनुसार

यह रिट याचिका याचिकाकर्ता ने कमांडिंग झंगार कंपनी, महार रेजिमेंट सेंटर, सौगोर (मध्यप्रदेश) के कार्यालय द्वारा जारी 'डिस्चार्ज सर्टिफिकेट' को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए दायर की है। याचिकाकर्ता ने आगे उत्तरदाताओं को सेना संख्या–4587866 के पद पर सेना के रूप में अपनी सेवा को बहाल करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।

उत्तरदाताओं के विद्वानअधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सेना के कर्मचारी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम 2007 की धारा 34 में यह प्रावधान है कि सशस्त्र बल के सदस्यों यानी भारतीय सेना की किसी भी कार्यवाही साहित सभी लंबित मामले '''स्टैंड ट्रांसफर' जिसका अर्थ है, ऐसे मामलों को ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित करने के लिए कोई न्यायिक आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कानून के प्रावधान के मद्देनजर, यह मामला सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को भी स्थानांतरित कर दिया गया है।

रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले के रिकॉर्ड को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की उपयुक्त पीठ जिसका अधिकार क्षेत्र है, को प्रेषित करें।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)